5.12.19	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष उप० / विद्वान वकील रेस्पो. ने निवेदन किया है कि प्रकरण मे संबंधित मूल वाद न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया है जिसकी अपील अदालत हाजा में अपील सं. 18/19 प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें आगामी पेशी दि. 26.12.19 नियत है / अतः धारा 212 की यह अपील प्रभावहीन

हो चुकी है / लिहाजा अपील खारिज की जावे /

हमने विद्वान वकील रेस्पो. के तर्कों को देखते हुए अदालत हाजा की अपील सं. 182/19 तलबी की / उक्त अपील का अवलोकन किया / अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण से संबंधित मूल वाद सं. 454/2007 को नहत न्यायालय द्वारा निर्णय दि. 25-10-19 द्वारा डिक्री किया जा चुका है / जिसकी अपील सं. 182/19 अदालत हाजा में पेश की गई है /

प्रस्तुत अपील नहत न्यायालय द्वारा धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा. पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध है /

चूंकि जब मूल वाद ही निस्तारित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा. पत्र में पारित आदेश के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चुअस हो चुकी है /

अतः यह अपील इन्फैक्चुअस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है /

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / दाखिल दफ्तर हो

6/12/19